GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2129 TO BE ANSWERED ON 29TH JULY, 2022

HCOS UNDER CGHS

2129. SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO: DR. JAYANTA KUMAR ROY:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state: -

- (a) whether several Health Care Organisations (HCOs) have been removed/exited/suspended from empanelment under CGHS in Delhi-NCR;
- (b) if so, the detail thereof;
- (c) whether with withdrawal of OPD services by private HCOs disempanelled under CGHS, beneficiaries are either not able to continue their treatments or have to pay non-CGHS rates and if so, the necessary steps taken in this regard;
- (d) whether the Government is aware that there is shortage of medicines including life saving drugs due to which most of medicines are indented resulting into delay in its availability to patients and if so, action taken in this regard;
- (e) whether Committee constituted for revamping of CGHS has submitted its report and if so, the detail of recommendations made therein and action taken thereon; and
- (f) the other steps being taken by Government for improvement in the functioning of CGHS?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (f): Details of Health Care Organisations (HCOs) removed from empanelment under CGHS in Delhi/NCR are available at https://cghs.gov.in/CghsGovIn/faces/ViewPage.xhtml. The de-empaneled HCOs are directed to complete the treatment at CGHS rates in respect of patients already admitted and taking treatment at such hospitals. Formulary medicines are available in CGHS Wellness Centres. Lifesaving medicines are procured by Medical Store Depot against a rate contract and supplied to the beneficiaries on priority basis. Medicines prescribed outside the formulary are procured through Authorized Local Chemists and provided to the beneficiaries at the earliest. For this purpose, an SMS is sent to the beneficiaries to collect these medicines by visiting CGHS Wellness Centre.

Final report of the Committee for revamping CGHS constituted under the chairmanship of Chief Executive Officer, National Health Authority was received in January, 2021. There were five major recommendations of the committee, which are as under: -

- i. Processing and payment of hospital bills pertaining to payment of CGHS pensioner beneficiaries on IT-Platform of NHA.
- ii. Complete paperless experience with end to end IT system of NHA for hospital empanelment.
- iii. Reform provision of quality generic medicines for all CGHS beneficiaries including procurement, quality testing and provision.
- iv. Establishment of Robust Online Grievance redress mechanism.
- v. Leveraging the new technologies for a comprehensive fraud and abuse control frame work.

Action on all these recommendations is taken.

Improvement in the functioning of CGHS is a dynamic process. Details of steps taken in this regard are as under: -

- Simplification of referral system,
- Direct consultation with specialists at empaneled hospitals in respect of CGHS beneficiaries aged 75 years and above,
- Option for consultation with Specialists of empaneled HCOs after referral by CGHS,
- One-time permission for follow-up treatment in respect of Cancer cases and other critically ill patients,
- Webinar on relevant health topics including subjects from AYUSH stream of medicine,
- Online consultation with Specialists on e-Sanjeevani portal,
- CGHS Panchayats are held in different CGHS Cities by senior officers of the Ministry and CGHS.

भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 2129 दिनांक 29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के अन्तर्गत एचसीओ

2129. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली-एनसीआर में कई स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) को सीजीएचएस के तहत पैनल से हटा/बाहर/निलंबित कर दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी एचसीओ द्वारा ओपीडी सेवाओं को वापस लेने से, लाभार्थी या तो वहां अपना उपचार जारी रखने में सक्षम नहीं हैं या उन्हें गैर- सीजीएचएस दरों पर भुगतान करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में कौन- कौन से आवश्यक कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन रक्षक दवाओं सिहत दवाओं की कमी है जिसके कारण अधिकांश दवाओं को इंडेंट किया जाता है तथा जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को इसकी उपलब्धता में विलंब होता है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या सीजीएचएस में सुधार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सीजीएचएस के कामकाज में सुधार के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीजीएचएस के अंतर्गत पैनल से हटाए गए स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों (एचसीओ) का ब्यौरा https://cghs.gov.in/CghsGovIn/faces/ViewPage.xhtml पर उपलब्ध हैं। पैनल से हटाए गए एचसीओ को निदेश दिया जाता है कि वे ऐसे अस्पतालों में पहले से भर्ती और उपचार करवा रहे रोगियों के संबंध में सीजीएचएस दरों पर उपचार पूरा करें। सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में फार्मूलरी दवाईयां उपलब्ध हैं। जीवन रक्षक दवाओं को मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा दर संविदा पर खरीदा जाता है और प्राथमिकता आधार पर लाभार्थियों को इनकी आपूर्ति की जाती है। फार्मूलरी से बाहर निर्धारित दवाओं को अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के माध्यम से खरीदा जाता है और इन्हें लाभार्थियों को यथाशीघ्र प्रदान कर दिया

जाता है। इस प्रयोजनार्थ, लाभार्थियों को सीजीएचएस आरोग्य केंद्र पर जाकर इन दवाओं को प्राप्त करने के लिए एक एसएमएस भेजा जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित सीजीएचएस के पुनरुद्धार संबंधी सिमिति की अंतिम रिपोर्ट जनवरी, 2021 में प्राप्त हुई थी। इसमें सिमिति की पांच प्रमुख सिफारिशें थीं, जो निम्नवत् हैं:-

- i. एनएचए के आईटी-प्लेटफार्म पर सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों के भुगतान से संबंधित अस्पतालों के बिलों पर कार्रवाई प्रक्रिया और भुगतान।
- ii. अस्पतालों को पैनलबद्ध करने के लिए एनएचए की एंड टू एंड आईटी प्रणाली के साथ पूर्ण रूप से पेपर रहित अनुभव।
- iii. खरीद, गुणवत्ता परीक्षण और प्रावधान व्यवस्था सहित सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों के सुधार संबंधी प्रावधान।
- iv. सुदृढ़ ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
- v. धोखाधड़ी और दुरुपयोग के एक व्यापक नियंत्रण फ्रेमवर्क लिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। इन सभी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है।

सीजीएचएस की कार्यप्रणाली में सुधार करना एक गतिशील प्रक्रिया है। इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नवत् है-

- रैफरल प्रणाली का सरलीकरण,
- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों के संबंध में पैनलबद्ध अस्पतालों में विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष परामर्श,
- सीजीएचएस द्वारा रेफरल के बाद पैनलबद्ध एचसीओ के विशेषज्ञों के साथ परामर्श संबंधी विकल्प,
- कैंसर के मामलों और अन्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों के संबंध में अनुवर्ती उपचार के लिए एकबारगी अनुमित,
- आयुष चिकित्सा धारा के विषयों सहित प्रासंगिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर वेबिनार,
- ई-संजीवनी पोर्टल पर विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन परामर्श,
- मंत्रालय और सीजीएचएस के विरष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न सीजीएचएस शहरों में सीजीएचएस पंचायत आयोजित की जाती है।
